

23/10/24

अधिवक्ता अपीलान्त उपो अधिवक्ता अपीलान्त  
ने प्रा० पत्र पेश कर निवेदन किया कि  
पक्षकारान के मध्य आपस में लोग  
अपालत की भावना से शर्जीनामा हो चुका है  
अतः उक्त प्रकरण जरिये विद्वे जाहिर  
करने का आदेश उदात्त करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया  
न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया  
जाकर उक्त प्रकरण जरिये विद्वे जाहिर  
किया जाता है। पत्रावली कैसल शुक्रव दोन  
नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली